न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 46 / 2017 दायरा दिनांक : 22.03..2017

उनवान

राधेश्याम पुत्र श्री हीरा लाल, जाति अहीर, निवासी मेलखेडी छापर, तहसील बारां, जिला बारां .....अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां, जिला बारां .....रेस्पोडेट

बहस हेतु उपस्थिति :– अभिभाषक अपीलांट – श्री बालमुकुन्द गूर्जर
अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 08.03.2018**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 09.02.2017 प्रकरण संख्या 357 / 2016 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार बारां के प्रकरण सं0 58 / 2015 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 18.02.2015 से अपीलांट को ग्राम मोठपुर, तहसील बारां की आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 0.48 हेक्टर, किस्म गै.मु.शमशान भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 90 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 264 / – रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.02.2017 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । माननीय राजस्व

मंडल ने ऐसे ही प्रकरण में आर. बी. जे. 2007 पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल फूंसरा की मौका रिपोर्ट दिनांक 12.01.2017 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार ग्राम मोठपुर के खसरा नम्बर 108 रकबा 1.03 हेक्टर किस्म गैर मु. शमशानपर पूर्व में 0.48 हेक्टर पर राधेश्याम पुत्र हीरालाल, जाति अहीर, निवासी मेलखेडी का अतिक्रमण था लेकिन ग्रामवासियों ने बताया कि गत वर्ष अतिक्रमी को सजा होने के उपरान्त ही अतिक्रमी ने कब्जा छोड दिया था लेकिन फसल खरीफ के दौरान प्रार्थी के नाम की रिपोर्ट कर दी गयी फिर भी प्रार्थी ने राशि 6300/– रूपये जमा करा दी है । अतिक्रमी की ओर कोई राशि बकाया नहीं है । वर्तमान में उक्त जगह पर किशनचन्द पुत्र गोरधन, जाति अहीर, निवासी मोठपुर का कब्जा है । रिपोर्ट एल आई आर दिनांक 27.01.2017 में अंकित किया गया है कि अपीलांट एवं किशनचन्द में कोई रिश्ता नहीं है । अतः सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना हम उचित समझते है । माननीय राजस्व मंडल द्वारा आर. बी. जे. 2007 पेज 644 पर प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसरण में कारावास के दण्ड को माफ किया गया है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है। लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी । तहसीलदार बारां को यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि आराजी पर किशन चन्द पुत्र गोरधन का अतिक्रमण है तो उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करें ।

आदेश आज दिनांक 08.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा